

पत्र संख्या-स0द0-चांदी जाबवर्क- /

1672/1314065

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(सचदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: अक्टूबर 17 2013

समस्त

जोनल एडीशनल कमिशनर / एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2

ज्वाइन्ट कमिशनर / डिप्टी कमिशनर / असिस्टेन्ट कमिशनर /

वाणिज्य कर अधिकारी

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-2091 दि0 17-02-2001 (कम्प्यूटर परिपत्र सं0-590 दि0 17-02-2001) व परिपत्र सं0-3184 दि0 27-03-2006 (कम्प्यूटर परिपत्र सं0-910 दि0 27-03-2006) का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा जाबवर्क करने वाले व्यापारियों / व्यक्तियों के संबंध में व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

चाँदी वर्क का जाबवर्क करने वाले मजदूरों / व्यक्तियों द्वारा निर्धारित की गयी व्यवस्था से आ रही कठिनाइयों का निराकरण कराये जाने के संबंध में शासन स्तर पर ज्ञापन दिया गया था। शासन द्वारा चाँदी वर्क का कार्य करने वाले मजदूरों / व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण किये जाने के निर्देश देते हुये सुगम व्यवस्था प्रभावी किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। इस संबंध में मुख्यालय स्तर पर विचार विमर्श किये जाने के उपरान्त शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। शासन ने अपने पत्र संख्या-1019 / ग्यारह-2-13-9 (210)/2012 दि0 29-08-2013 से प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये इस स्तर से यथोचित निर्देश जारी किये जाने की अपेक्षा की है।

जाबवर्कर्स / मजदूरों की आड़ में चाँदी जैसी मूल्यवान वस्तु के आयात / परिवहन एवं चाँदी वर्क के परिवहन में वाणिज्य कर अपवंचन की भी पूर्ण संभावना है। जिस पर अंकुश रखने हेतु प्रभावकारी व्यवस्था किया जाना भी आवश्यक है।

जाबवर्कर / मजदूरों द्वारा चाँदी लाये जाने एवं चाँदी वर्क ले जाये जाने हेतु सम्बन्धित एंव जाबवर्कर / मजदूरों के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग का नियंत्रण होने पर ही करापवंचन रोका जा सकता है। अतः निम्न व्यवस्था प्रभावी की जाती है :-

- (1) यह व्यवस्था केवल सभी चाँदी वर्क का जाबवर्क करने वाले जाबवर्कर / मजदूरों की सुविधा हेतु लागू किया जाना उचित होगा। ताकि परिवहन के समय अनावश्यक रूप से सम्बन्धित माल को रोके जाने की स्थिति उत्पन्न न हो।
- (2) जाबवर्कर / मजदूरों द्वारा सम्बन्धित वाणिज्यकर कार्यालय में निर्धारित प्रारूप जाबवर्क " अ " में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जायेगा। जिसकी कार्यालय रसीद संख्या / दिनांक ही उसका आइडेंटिफिकेशन नम्बर होगा जिसका उल्लेख प्रार्थनापत्र पर नियमानुसार किया जायेगा। (संलग्नक-1)
- (3) जाबवर्कर द्वारा कच्चे माल चाँदी के संबंध में आवक रजिस्टर तथा जाबवर्क के बाद निर्मित चाँदी वर्क के संबंध में जावक रजिस्टर का रख-रखाव किया जायेगा। वर्ष के अन्त में बची हुई चाँदी तथा चाँदी वर्क के मात्रात्मक विवरण की प्रविष्टि इस रजिस्टर में की जायेगी।
- (4) जाबवर्कर द्वारा कच्चा माल चाँदी लाने एवं जाबवर्क के बाद बने चाँदी वर्क के ले जाने हेतु 50-50 की चालानों की बुक चार-चार प्रतियों में निर्धारित (प्रारूप जाबवर्क " ब " तथा प्रारूप जाबवर्क " स ") (संलग्नक-2 व 3) के अनुसार रखी जाये जिन्हें जाबवर्कर द्वारा स्वयं छपवा कर सम्बन्धित करनिर्धारण अधिकारियों से प्रमाणित करा ली जाये। उक्त चालानों की प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय प्रति माल परिवहन के समय सम्बन्धित कार्यालय के साथ उपलब्ध होना चाहिये जिसमें से प्रथम प्रति गन्तव्य स्थान के लिए द्वितीय प्रति गन्तव्य स्थान पर माल पहुँच जाने पर प्राप्ति हेतु तृतीय प्रति रास्ते में वाणिज्य कर की प्रवर्तन इकाईयों के लिए व चतुर्थ प्रति बुकलेट में कार्यालय प्रति के रूप में सुरक्षित रखी जाये।

(5) करनिर्धारण अधिकारी द्वारा जाबवर्क चालानों पर प्रमाणीकरण / पृष्ठांकन के पूर्व जाबवर्कर के आवक जावक रजिस्टर में पूर्व में प्रयुक्त चालानों को अवलोकित करते समय राजस्व हित का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा।

(6) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा खण्ड कार्यालय में उक्त विषयक जाबवर्क पंजी रखी जायेगी, जिसमें जाबवर्क करने वाले जाबवर्कर के लिये पृष्ठ निर्धारित करते हुए पृष्ठांकित किये गये चालानों का विवरण रखा जायेगा।

(7) जाबवर्कर मजदूरो द्वारा माल लाए जाने / ले जाए जाने से सम्बन्धित प्रयुक्त चालानों की प्रतियाँ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अप्रैल माह की 20 तारीख तक विवरण पत्र के साथ सम्बन्धित कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। जिसका प्रारूप संलग्नक-4 इस पत्र के साथ संलग्न है।

उपर्युक्त व्यवस्था केवल चौदी वर्क का जाबवर्क करने वाले मजदूरों / व्यापारियों / व्यक्तियों के लिये लागू की जा रही है जो इस व्यवस्था के अधीन दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करने हेतु पूर्ण रूप से सहमत हों। यह व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रशासनिक व्यवस्था के तहत निर्धारित की जाती है। चौदी का वर्क करने वाले मजदूर / व्यापारी / व्यक्ति इस प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य नहीं करना चाहते हैं वह पूर्व में लागू व्यवस्था के तहत अपना कार्य कर सकते हैं। यह व्यवस्था पूर्णतः ऐच्छिक है। यह चौदी का जाबवर्क करने वाले लोगों के लिए है एवं जो इस व्यवस्था का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए लागू होगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार अपने जोन, संभाग, अक्षेत्र के अन्तर्गत चौदी का जाबवर्क करने वाले लोगों को इससे अवगत कराते हुये इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराये तथा निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से करें।

यह व्यवस्था दिनांक 01-11-2013 से प्रभावी होगी।

संलग्नक- यथोपरि।

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

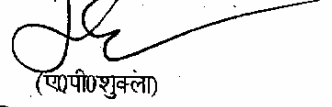
प्र0प्र0सं0 एवं दिनोंक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. माननीय अध्यक्ष, 30प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, 30प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
3. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
4. संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
5. अध्यक्ष / निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, 30प्र0।
6. अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
7. महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
8. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
9. प्रबन्धक, ईसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
10. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
11. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
12. विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
13. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्यगोमती नगर, लखनऊ।
14. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(30न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
15. मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियों में।
16. विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
17. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
18. अध्यक्ष, 30प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेल फेयर एसो 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ।
19. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
20. श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) 30प्र0।

21. श्री श्याम बिहारी मिश्र, 30प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
22. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, 30प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
23. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय, व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
24. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
25. एसोसियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ।
26. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड, लखनऊ।
27. अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्डो पेशबाग रोड, लखनऊ।
28. आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
29. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्डो निराला नगर, लखनऊ।
30. राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य) के माध्यम से।
31. प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
32. श्री नरेन्द्र कुं गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद।
33. श्री शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि 30प्र0, टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
34. श्री मदन मोहन भारतीय एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
35. प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैक्ट्री आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
36. प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
37. डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
38. श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी।
39. श्री अशोक धवन सी के -24/ 1, कुंजगली, चौक, वाराणसी।
40. श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा।
41. श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) 30प्र0 ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
42. श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
43. श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद।
44. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल 30प्र0 प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर।
45. इन्डियन इण्डोएसो0, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।
46. संयोजक, टैक्सेशियों एक्जैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ।
47. टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा।
48. श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0पा0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
49. श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ।
50. श्री दिनेश अरोरा 30प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
51. श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष 30प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।
52. श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी0-बी-29, विधायक निवास, दारुल सफा, लखनऊ।
53. श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी व्यापारी सभा, 30प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ।
54. श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष 30प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, 30 बी0एन0रोड, अमीनाबाद लखनऊ।
55. अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ।
56. वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ।
57. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस।
58. सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।
59. श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (30प्र0)
60. श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, 30प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आंशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद।
61. श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली नं0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूं।
62. श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाऊस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
63. श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद।

64. श्री बी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।
65. श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ।
66. श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू०पी०)।
67. श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड।
68. श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू०पी० पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा।
69. अध्यक्ष, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)
70. अध्यक्ष, यू०पी०मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (रजि०) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर।



(ए०पी०शुक्ला)

ज्वाइन्ट कमिश्नर(सचलदल)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

संलग्नक-1

रसीद संख्या / दिनांक _____ (जिससे प्रार्थना पत्र विभाग द्वारा प्राप्त किया गया)
(यह प्रविष्टि कार्यालय द्वारा भरी जायेगी)

प्रारूप जाबवर्क -अ

जाबवर्क हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

असिस्टेंट कमिशनर

मैं (पूरा नाम) _____ पुत्र / पुत्री(पूरा नाम) _____ सर्वश्री _____ के
नाम उपाधि (स्टाइल) से चौदी वर्क के जाबवर्क का कार्य करता हूँ और मेरे कार्य का मुख्य स्थान _____
(मकान सं० सडक मार्ग , बाजार आदि के नाम सहित पूरा पता), डाकखाना _____ तहसील _____
जिला _____ के अन्तर्गत आपके अधिकार क्षेत्र में स्थित है , एतद्वारा जाबवर्क के मुख्यस्थान एवं शाखाएँ
सहित , वर्ष _____ के निमित्त जाबवर्क हेतु प्रार्थना पत्र देता हूँ । मैं इस प्रयोजन के लिये निम्नलिखित ब्योरे प्रस्तुत
करता हूँ ।

1- जाबवर्क के स्थान :-

(अ) _____

(ब) _____

(स) _____

2- जाबवर्क की प्रकृति:-

3- जाबवर्क का कार्य आरम्भ करने का दिनांक :-

4- जाबवर्क में प्रयोग में आने वाली वस्तुये (कच्चे माल, मशीनरी आदि के विवरण) :-

(I)

(II)

(III)

5- जाबवर्क के उपरान्त निर्मित / तैयार होने वाले माल का विवरण

1-

2-

3-

6- साक्षीदरों का नाम व पूर्ण पता (यदि कोई हो)

(क) ----

(ख) ----

(ग) ----

(घ) ----

7- बैंक का नाम जिसमें खाता निहित है तथा खाता सं० :-

मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ की जहाँ तक मेरी जानकारी तथा विश्वास है इस प्रार्थना पत्र में दिये गये ब्योरे सत्य एवं
पूर्ण है ।

स्थान -

दिनांक-

प्रार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर-

प्रमाणित करने वाला साक्षी -

हस्ताक्षर -

नाम -

पिता का नाम-

पूरा पता -

संलग्नक-2

प्रारूप जाबवर्क -ब

जाबवर्क हेतु माल लाने का चालान

जाबवर्कर का नाम व पता -----

शाखा (यदि कोई हो तो उसका पता) -----

जाबवर्क आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की रसीद सं० / दिनांक -----

कार्यालय का नाम जेहा जाबवर्कर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया -----

[सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा मुहर / हस्ताक्षर सहित प्रमाणित किया जायेगा]

बुक नम्बर -----

क्रम संख्या ----- दिनांक----

1- माल स्वामी / निर्देष्टा का नाम / पता / टिन नम्बर जिसका माल चाँदी जाबवर्क हेतु मंगाई जा रही है :

2- माल स्वामी / निर्देष्टा का चालान नं० व दिनांक :

3-चाँदी की मात्रा / वजन व टंच की हुई चाँदी की मात्रा / वजन :

4-अनुमानित मूल्य :

5-जाबवर्क के बाद निर्मित होने वाली वस्तु / वस्तुओ का नाम :

6-माल परिवहन का विवरण :

(I) वाहन जिससे माल मँगाया जा रहा है :-

(II) जी० आर० सं० / दिनांक :-

(III) यदि रेलवे के माध्यम से मॉगया जा रहा है तो आर०आर०सं० / दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है ।

हस्ताक्षर:

नाम :

प्रस्थिति:

जाबवर्क हेतु:

माल पाने वाला व्यापारी / व्यक्ति

संलग्नक-3

प्रारूप जाबवर्क -स

जाबवर्क के बाद बने चाँदी वर्क वापस भेजने का चालान

जाबवर्कर का पूरा नाम व पता :

शाखा (यदि कोई हो तो उसका पता) :-

जाबवर्कर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की रसीद सं० / दिनांक

कार्यालय का नाम / जहाँ जाबवर्कर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया

[सम्बन्धित करनिर्धारण अधिकारी / असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा मुहर / हस्ताक्षर सहित प्रमाणित किया जाये :]

बुक नम्बर -----

क्रम सं०----- दिनांक

1- माल स्वामी / निर्देष्टा का नाम / पता / टिन नम्बर जिसको जाबवर्क के बाद निर्मित माल चाँदी वर्क वापस किया जा रहा है :

2- चाँदी वर्क की मात्रा / वजन :

3- अनुमानित मूल्य :

4- माल परिवहन का विवरण :

(I) वाहन जिसमें माल भेजा जा रहा है :

(II) जी० आर० सं० व दिनांक :

(III) यदि रेलवे के माध्यम से भेजा जा रहा है तो आर०आर०सं० / दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर:

नाम :

प्रस्थिति:

जाबवर्कर / व्यापारी का नाम पूरा पता :

संलग्नक-4

चौदी का जाबवर्क करने वाले मजदूरो द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रयुक्त चालानो की प्रतियो सहित
प्रस्तुत किये वाले विवरण पत्र का प्रारूप

1- वर्ष के प्रारम्भ में माल का प्रारम्भिक स्टॉक मात्रा

- (क) चौदी
- (ख) चौदी वर्क
- 2- वर्ष में जाबवर्क हेतु चौदी का आवक (मात्रा में)
- 3- वर्ष में जाबवर्क के पश्चात चौदी वर्क का जावक (मात्रा में)
- 4- वर्ष के अन्त में माल का अन्तिम स्टॉक
- (क) चौदी की मात्रा
- (ख) चौदी वर्क की मात्रा